फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

सुभाषचन्द्र बनाम भादरराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. प्रकरण संख्या 84 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.09.2025	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को कथित करते हुऐ बहस की कि माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट पेश होने पर प्रकरण में बाद सुनवाई श्रीमान जी ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश दिये गये थे। जिसकी अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय के न्यायालय में होने पर श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय ने अपने निर्णय दिनांक 14.05.2025 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2025 को निरस्त कर दिया है। निर्णय दिनांक 14.02.2025 की पालना राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है। जिसे प्रार्थी धारा 144 सी0पी0सी0 के तहत प्रत्यास्थापन आदेश द्वारा पुनः स्वयं के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। न्यायालय द्वारा सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विचारण न्यायालय व अपील न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत मूर्ति भवानी बनाम रमेश आदि एस0सी0 2019 (1) डी.एन.जे. का अवलोकन किया गया विधिनुसार विचारण न्यायालय के आदेश अनुसार किसी प्रकार का कार्य किया जाता है और विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाने पर प्रभावित पक्षकार विचारण न्यायालय के निर्णय के समय की स्थिति का बहाल करवाने का अधिकारी होता है। उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय के आदेश को अपील न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया हैं विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में ही प्रार्थी की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के फेर बदल किया गया हैं इस कारण प्रार्थी को धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधान अनुसार विचारण न्यायालय के निर्णय की स्थिति बहाल करवाने की अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि निर्णय दिनांक 14.02.2025 की पालना में जारी पत्र दिनांक 14.02.2025 से राजस्व रिकार्ड में हुए परिवर्तन को प्रत्यास्थापन आदेश द्वारा पुनः स्वयं के नाम दर्ज किया जावे एवं आदेश दिनांक 14.02.2025 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.10.24 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested